संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.
(वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की शर्तें)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय, मध्यप्रदेश पत्रकार कालोनी लिंक रोड न0–3 भोपाल में वाहन किराये पर लेने हेतु अधिकृत/ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टेक्सी ट्रेवल्स के तौर पर पंजीकृत संस्थानों से ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संस्थान निम्नलिखित शर्तो पर अपनी ई–निविदांऐ mptenders.gov.in पर दिनांक 16/01/2024 अपरान्ह 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदायें (तकनीकी) दिनॉक 17/01/2024 दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म राशि रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) ई– भुगतान कर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

1– वाहन चालक प्रथम पक्षकार अर्थात ट्रेवल ऐंजेन्सी का होगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार फोर व्हीलर का वैध ड्रायविंग लायसेंस व्यावसायिक वाहन संचालन का होना आवश्यक है। वाहन चालक के वेतन भत्तो व अन्य खर्च प्रथम पक्षकार द्वारा वहन किया जावेगा। अनुबंधित वाहनो का पंजीयन परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में होना आवश्यक है।

2– फर्म को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात वाहन चालकों के आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज के फोटो एवं बैंध ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

3. अनुबंधित वाहनो के यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानो पर भी ले जाया जा सकता हैं। प्रथम पक्षकार के वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि द्वितीय पक्ष के अधिकारी के आदेशों का पालन करे।

4. वाहन चालक को वाहन का लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा । वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन का उपयेाग करने वाले अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में संधारित लॉग बुक में करना होगा। देयक प्रस्तुत करते समय लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. प्रत्येक अनुबंधित वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र/प्रचलित वर्ष का वाहन का वैध बीमा/P.U.C./वाहन के परिचालन हेतु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अन्य प्रमाणीकरण वाहन चालक का लाईसेंस की प्रति वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा एवं एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6. वाहन चालक अपराधिक चरित्र का न हो, वाहन चालक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने की शिकायत पर वाहन चालक बदलना अनिवार्य होगा।

7. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।

8. वाहन का सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक होगा । वाहन में अच्छी हालत में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये टायर ट्यूब नये होना चाहिये । माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।

क्रमशः–2

9. यह कि दैनिक किराये में वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष के लिये दो घंटे के अंतराल में दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्षकार को करना अनिवार्य होगा । इससे अधिक समय लगने पर द्वितीय पक्षकार द्वारा अन्य ट्रेवल्स से वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उस व्यय का भार, प्रथम पक्ष को वहन करना होगा।
10. निविदाकर्ता संस्था के पास स्वंय के 20 वाहन होना आवश्यक है जिसमें निविदा में चाहे गये सभी प्रकार के वाहन होना आवश्यक है। जिसमें 10 वाहन 1/4/2022 के बाद के होना अनिवार्य है। वाहनों के दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. वाहन आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय के अधीन अथवा उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर संबंधित अधिकारी को सदैव उपलब्ध कराना होगा।
12. यह कि द्वितीय पक्षकार की मांग अनुसार निर्धारित समय व स्थान पर वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। वाहन प्रदाय न किये जाने पर प्रथम पक्षकार द्वारा निविदा के साथ जमा प्रतिभूति राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा राजसात कर ली जावेगी एवं अनुबंध समय सीमा के पूर्व निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि मासिक किराये पर प्रदत्त वाहन के खराब या अनुपलब्धता के दौरान प्रथम पक्षकार बिना अंतराल के वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य होगी, जो मूल वाहन से निम्न नहीं होगा, अन्यथा द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन की व्यवस्था करने पर व्यय का भार प्रथम पक्षकार को वहन करना होगा।
14. वाहन की मरम्मत या सुधार की स्थिति में प्रथम पक्षकार ट्रेवल्स ऐंजेन्सी को गैरेज से कार्यालय तक का व्यय भुगतान ट्रेवल्स ऐंजेन्सी को वहन करना होगा।
15. यह कि माइलोमीटर में गडबडी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाने की दशा में सडक मार्ग के निर्धारित अनुसार दूरी मान्य की जावेगी।
16. किराये के वाहन हेतु समयावधि हेतु वृद्वि अथवा कटौती तथा वाहन सेवा को निरस्त करने के समस्त अधिकार द्वितीय पक्षकार के पास सुरक्षित रहेंगे।
17. दैनिक किराये की वाहन पर मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम का चार्ज 12.00 बजे रात्रि के बाद लागू होगा एवं निविदा में दी गई दर अनुसार प्रभार देय होगा ।
18. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद में प्रथम पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा।
19. बाहरी यात्राओं/प्रवास के लिये निविदा में दी गई दरें ही प्रभावी होगी।

क्रमशः—2

20. टोल टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स एवं अन्य टैक्स जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किये जावेगें वह ट्रेवल्स ऐंजेन्सी को व्यय करना होगें, जिसकी पावती की छायाप्रति बिल देयक के साथ संलग्न की जावेगी।
21. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिये उत्तरदायी होगा, तथा समस्त खर्च का वहन, वाहन मालिक को करना होगा, यदि कोई क्षतिपूर्ति आदेश मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते है तो न्यायालय के आदेश के पालन की संपूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्षकार/वाहन मालिक की होगी।
22. वाहन किराये का देयक प्रति माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगे। देयक प्राप्त होने के दिनांक से एक माह की अवधि में भुगतान किया जावेगा। भुगतान में अपरिहार्य कारणों से बिलम्ब होता है तो प्रथम पक्षकार कोई ब्याज या अन्य क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा। तथा शासन नियमानुसार देयकों की कुल राशि पर आयकर की राशि काटकर भुगतान किया जावेगा।
23. वाहन किराया भुगतान के पश्चात जी.एस.टी. कटोत्रे की रसीद इस कार्यालय को देना होगा, तभी वाहन का मासिक भुगतान किया जावेगा।
24. मासिक किराये पर अनुबंधित वाहन के लिये वाहन चलाने व किलोमीटर संबंधी कोई सीमा नहीं होगी, वाहन आवंटित अधिकारी की आवश्यकता अनुसार वाहन चालन करना होगा।
25. निविदाकर्ता संस्था के पास कम से कम 03 वर्ष शासकीय/अर्ध शासकीय विभाग में अनुबंध पर वाहन चलाने के कार्य का अनुभव होना आवश्यक हैं जिसमें 15 वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का शासकीय कार्यालय का कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
26. ट्रेवल एजेन्सी की वाहनो की दरें अनुबंधित होने पर द्वितीय पक्ष की मांग अनुसार प्रथम पक्षकार तत्काल वाहन उपलब्ध करावेगा। कार्यालय समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, कार्यालय आयुक्त निःशक्तजन म.प्र. या अन्य संबंधित कार्यालय को उनकी मॉग अनुसार स्वीकृत निविदा की दरो पर इस संचालनालय के माध्यम से अनुबंध किया जा सकेगा।
27. निविदा में मासिक एवं दैनिक वाहनों के संबंध में दी गई दरें जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी टैक्स सम्मलित होगे। साथ ही निविदा कार्य के संपादन करने वाले सभी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर, लेबर रजिष्ट्रेशन शुल्क, भविष्य निधि (E.P.F.) ESI एवं अन्य टेक्सेस इत्यादी सम्मलित होगे। विगत 1 वर्ष की (E.P.F.) ESI जमा के चालान की कापी संलग्न करें। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय द्वारा देय नही होगा।
28. वाहन किराये पर ही जी.एस.टी. देय होगा शेष अन्य कोई भी टैक्स भुगतान अलग से देय नहीं होगा। शासन नियमों के अनुसार आवश्यकता होने पर स्त्रोत के टैक्स की कटौती की स्थिति में देयको से कटौती की जावेगी। जी.एस.टी. 3 बी रिर्टन की विगत तीन वर्ष जमा की कापी संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रमशः--4

29. निविदा के साथ रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) धरोहर राशि का बैक डाफ्ट / एफ0 डी0 भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का **आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल मध्यप्रदेश** के पक्ष में ई– निविदा की प्रस्तुत करने की अंतिम के एक दिवस प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

30. संस्था का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्ष का राशि रू0 1.00 करोड़ का होना आवश्यक है। विगत तीन वर्ष का सी.ए. का आडिट प्रतिवेदन (बैंलेस सीट) एवं सी.ए. द्वारा प्रमाणित तीन वर्ष का सर्टिफिकेट यू.डी.आई.एन. नम्बर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

31. सफल निविदाकर्ता से वाहन किराये पर लेने का अनुबंध दो वर्षो के लिये किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद हाने पर एक–एक वर्ष के लिये अधिकतक दो बार बढ़ाया जा सकेगा।

32. निविदा कर्ता द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर भविष्य में राज्य शासन के अधीन पब्लिक सेक्टर में कार्य करने से प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया जा सकता है। जिस संस्था पर पूर्व से प्रतिबंध है या ब्लेक लिस्टेड है वह निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत न करें। उक्त संबंध में रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर सपथपत्र प्रस्तुत करे। अन्यथा उसकी अमानत/धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

33. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत समस्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।

34. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल होगा।

35. न्यूनतम दर को स्वीकृत करने को बाध्य नहीं होंगे। अमान्य/अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर/अमानत राशि रिलीज/मुक्त कर दी जावेगी। निविदा में असत्य तथ्य देने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

36. उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने की इच्छुक संस्था/फर्म निविदा की धरोहर राशि रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा की हार्ड कापी दिनॉक 15/01/2024 तक संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र. में प्राप्त होना अनिवार्य है।

उपरोक्त शर्तें मैने पूरी तरह पढ़ ली हैं जिनसे मैं सहमत होकर निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम
फर्म/ संस्था का नाम(सील